एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए–223, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–1 नई दिल्ली–110020
सीआईएनः U74899DL1978NPL008877 टेलीफोन : 011–40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए परिपत्र/त्रों) द्वारा क्रमशः जारी सामान्य परिपत्र संख्याः 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 एवं अन्य अधिमान्य परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने हेतु सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, परिषद की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुअल मीन्स("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से किया जायेगा।

एमसीए के परिपत्र/त्रों के अनुसार, 44वीं एजीएम की सूचना एवं 31 मार्च, 2023 ('वार्षिक रिपोर्ट') को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2022–2023 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ई–मेल पते परिषद् के पास पंजीकृत हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र/परिपत्रों में की गई व्यवस्था के अनुसार, 44वीं वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां सदस्यों को भिजवाई जानी अपेक्षित नहीं हैं।

सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्शित किया जाता है कि अब परिषद के सदस्यों की संख्या 1000 से भी अधिक हो गई है। तदनुसार, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के नियम 20(2) के साथ पठित धारा 108 के अनुसरण में 44वीं वार्षिक आम बैठक के सभी संकल्पों का निष्पादन ई–वोटिंग के माध्यम से किया जाना है।

कृपया यह भी ध्यान दें कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, संकाय कॉर्पोरेट को वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियोविजुअल विधियों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जा रही वार्षिक आम बैठक में भाग लेने एवं ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की पात्रता प्राप्त होगी।

कृपया यह ध्यान दिया जाए कि वाणिज्य विभाग ने दिनांक 10.05.2023 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/1/2017–ई एंड एमडीए के साथ दिनांक 27.06.2023 के ओएम नंबर 12/1/2017–ई एंड एमडीए के अनुसार सभी चल रहे चुनावों को अगली सूचना तक रोक दिया है, जिसमें घोषित परिणामों के बिना सभी चल रहे चुनावों पर रोक लगा दी गई है और ईपीसी के चुनाव के लिए पात्रता के लिए नए दिशानिर्देश जारी होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। तदनुसार, एईपीसी की कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव से संबंधित कार्य को रोक दिया गया है और जिसे भी इस एजीएम में सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता होगी, वह नए दिशानिर्देश जारी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 (नियम") द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 44 वीं एजीएम में अपना वोट डाल सकते हैं। एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर।

वार्षिक आम बैठक ("रिमोट ई–वोटिंग") के अलावा किसी अन्य स्थल से सदस्यों को अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग से करने तथा बैठक के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

अधिनियम तथा नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया हैः

क) वार्षिक आम बैठक के संबंध में दिनांक 23.11.2023 के नोटिस में सूचीबद्ध सभी संकल्पों पर केवल इलैक्ट्रानिक विधियों से ही संव्यवहार किया जाना है।

ख) रिमोट ई–वोटिंग दिनांक 24.12.2023 (रविवार) को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 26.12.2023 (मंगलवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। दिनांक 26.12.2023 को सायं 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) रिमोट ई–मतदान एवं एजीएम के दौरान होने वाले मतदान के लिए, पात्रता निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि 20 दिसम्बर,2023 (बुधवार) है और जिन सदस्यों के नाम काउंसिल के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक रिकॉर्ड किये गये हैं, केवल वही सदस्य रिमोट ई–मतदान तथा एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

घ) जो व्यक्ति नोटिस भेजने के पश्चात कट–ऑफ तिथि अर्थात 20.12.2023 तक परिषद के सदस्य बन जाते हैं, वह evoting@nsdl.com के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

ड़) सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दिए गए प्रत्येक नोट एवं विशेषतः वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग अथवा वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग एवं दिनांक 01.12.2023 के समाचार पत्रों में सदस्यों के लिए प्रकाशित नोटिस का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

च) वार्षिक आम बैठक का नोटिस परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

छ) यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) तथा शेयरधारकों के ई–वोटिंग उपयोक्ता मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा www.evoting.nsdl.com को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई –400013 में श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से उनके निर्दिष्ट ईमेल पते : evoting@nsdl.com अथवा amitv@nsdl.com अथवा pallavid@nsdl.com अथवा टेलीफोन नम्बरः +91-022-48867000 अथवा 91-022-24997000, पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग करने से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।

ज) सदस्य, कृपया यह ध्यान दें कि : क) एनएसडीएल द्वारा ऊपर उल्लिखित तिथि एवं समय के अनुसार रिमोट ई–वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के पश्चात उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी; ख) 44वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट कर चुके सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से 44वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु 44वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के दौरान उन्हें ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः वोट देने की अनुमति नहीं होगी; ग) वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्यों को वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की अनुमति प्राप्त होगी, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं दिया है; तथा घ) ऐसे व्यक्ति को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने, 44वीं वार्षिक आम बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से भाग लेने तथा 44वीं वार्षिक आम बैठक में ई–वोटिंग करने की अनुमति प्राप्त होगी, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि तक परिषद में अनुरक्षित रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है।

झ) इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बृहस्पतिवार, दिनांक 21.12.2023 से बुधवार, दिनांक 27.12.2023 (दोनों दिन सहित) तक बंद रखा जाएगा।

कृते एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
सुमित गुप्ता
(सेक्रेटरी)

दिनांक : 05/12/2023
स्थान : नई दिल्ली

Jansatta – 6-12-2023